मानक शर्ते

(वन अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या– 7314/14–3–1980/82,

दिनांक – 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षक करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गई न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसे किये जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजें का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरी वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वनसम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं को वन क्षेत्रों को हस्तांतरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परंतु प्रतिबंध यह होगा कि वह सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं जन्तुओं के विवरण के व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
9. सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
10. विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करके वन भूमि बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग का प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. परियोजना के निर्माण में स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जनपद सोनभद्र के ओबरा 2x2600 मेगावाट ओबरा सी परियोजना के लिए विस्तार हेतु प्रस्तावित राख बाँध निर्माण के परिक्षेत्र मे आने वाली भूमि जो की ओबरा तहसील के अगोरी परगना मे ग्राम पंचायत चंचलिया पनारी के टोला गूरूर गाँव में स्थिति है।

अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जनपद निर्माण खण्ड IV
उ० प्र० राज्य विद्युत उ०नि०लि०
ओबरा सोनभद्र

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में निहित आदेशों का पालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ओबरा –सोनभद्र द्वारा किया जायेगा।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ओबरा –सोनभद्र को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा कोई उपयुक्त प्रकिया जो विभाग समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकरण में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ो का रोपण तथा तीन वर्षो तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिद्ध है। इसी प्रकरण में बॉच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को ऊँचा करें, उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान भी अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण, करके सम्बंधित उप वनसंरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बंधित वन संरक्षण का अनुमोदन अनिवार्य है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भूरक्षण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय पर खर्च करायेगा।
17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती है तो वे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ओबरा –सोनभद्र को मान्य होगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों को पूरा पालन कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जनपद निर्माण खण्ड IV
उ० प्र० राज्य विद्युत उ०नि०लि०
ओबरा सोनभद्र